न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 921 सन 2024
अनवान :–

1. रमेश कुमार पुत्र बीरबल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

2. इन्द्राज पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
3. दुलीचन्द पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
4. देवीलाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
5. भादरराम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
6. कमला पत्नी बीबरलराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
7. मोनिका पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर
8. सुनील कुमार पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. कृष्णादेवी पुत्री धनपतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. धर्मपाल पुत्र धनपतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
11. राजेन्द्र कुमार पुत्र धनपतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. सावत्री पत्नी धनपतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
13. कोमल पुत्री धनपतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
14. रामदेई पत्नी मोहनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
15. ललित कुमार पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी
श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता प्रति0संख्या 2 ता 15
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 04/10/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 61/59 के प0न0 358/446(67) के किला न0 3/1 की 0.025हैक , 3/2 की 0.228हैक , 4/1 की 0.025हैक , 4/2 की 0.228हैक , 5/1 की 0.025हैक , 5/2 की 0.228हैक , 6/0.2530 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,13 ता 17/1.265हैक प0न0 359/445(51) के किला न0 21/0.2530 ,22/0.2530, प0न0 359/446(68) के किला न0 1/1 की 0.0.25हैक 1/2 की 0.228हैक , 2/1 की 0.025हैक 2/2 की 0.228हैक 9 ता 12/1.012हैक 18 ता 20/0.759हैक कुल 27 खसरों की कुल 5.5660हैक भूमि में वादी का 3/22 हिस्सा व [illegible] प्रतिवादी 6 ता 8 प्रत्येक 1/24 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 [illegible] तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 प्रत्येक का 1/30 हिस्सा तरतीबी [illegible] 13 ता 15 प्रत्येक का [illegible] 90 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है जो वर्तमान जमाबन्द [illegible] दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:59 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 157/149 के प0न0 351/447(77) के किला न0 13/0.2530 ,24/0.2530 ,प0न0 352/447(76) के किला न0 12/0.2530

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

,प0न0 358/440(7) के किला न0 21/0.2530 , 25/0.2530 ,प0न0 358/446(67) के किला न0 18/0.2530 , प0न0 359/440(8) के कलिा न0 22/0.2530 ,प0न0 359/441(13) के किला न0 2/1 की 0.025हैक , 2/2 की 0.228हैक 11/0.2530 कुल 2.270हैक भूमि सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज रिकार्ड है।

रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 157/149 के प0न0 358/446(67) के किला न0 18/0.2530हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सिवाय चक अराजीराज दर्ज कर रखी है जबकि उक्त भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज कर रखी है।

रोही मौजा चक 22 डीपीएन के प0न0 358/446(67) किला न0 18/0.2530हैक पुरानी जमाबन्दी सम्वत 2038 से 2041 में उक्त किला न0 18/0.2530हैक भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज किन्तु जमाबन्दी सम्वत 2051–2054 में उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज कर दी गई जबकि वादी की खातेदारी भूमि थी जो सहवन से सिवाय चक दर्ज हो गई है वादी संशोधन करवाने का अधिकारी है।

वादी के हक हिस्सा की खातेदारी भूमि को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज रहने से वादी के हक का हनन होता है वादी अपनी खातेदारी भूमि जो जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से सिवाय चक दर्ज हो गई है को संशोधन करवाकर अपने हक हिस्सा के अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की वाद भूमि को जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से सिवाय चक दर्ज कर दिया है जमाबन्दी संशोधन की जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 के नाम उनके हिस्सा के अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 157/149 के प0न0 358/446(67) के किला न0 18 /0.2530हैक भूमि सिवाय चक काबिल काश्त के स्थान पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 प्रत्येक 1/24 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 प्रत्येक का 1/30 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 प्रत्येक का 1/90 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल जबाब पेश किया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादी के साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें जबाब शामिल मिसल किया गया वादी ने साक्ष्यवादी में अपना शपथ पत्र पेश किया शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया रोही मोजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 157/149 के प0न0 358/446(67) के किला न0 18 /0.2530हैक भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज चली आ रही थी जो वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के अपने हक हिस्सा के अनुसार कब्जा काश्त में चली आ रही थी

रोही मौजा चक 22 डीपीएन के प0न0 358/446(67) किला न0 18/0.2530हैक पुरानी जमाबन्दी सम्वत 2038 से 2041 में उक्त किला न0 18/0.2530हैक भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज किन्तु जमाबन्दी सम्वत 2051–2054 में उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज कर दी गई जबकि वादी की खातेदारी भूमि थी जो सहवन से सिवाय चक दर्ज हो गई है वादी संशोधन करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के हक हिस्सा की खातेदारी भूमि को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज रहने से वादी के हक का हनन होता है वादी अपनी खातेदारी भूमि जो जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से सिवाय चक दर्ज हो गई है को संशोधन करवाकर अपने हक हिस्सा के अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 157/149 के प0न0 358/446(67) के किला न0 18 /0.2530हैक्ट भूमि सिवाय चक काबिल काश्त के स्थान पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 प्रत्येक 1/24 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 प्रत्येक का 1/30 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 प्रत्येक का 1/90 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया गया।

रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 61/59 के प0न0 358/446(67) के किला न0 3/1 की 0.025हैक्ट , 3/2 की 0.228हैक्ट , 4/1 की 0.025हैक्ट , 4/2 की 0.228हैक्ट , 5/1 की 0.025हैक्ट , 5/2 की 0.228हैक्ट , 6/0.2530 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,13 ता 17/1.265हैक्ट प0न0 359/445(51) के किला न0 21/0.2530 ,22/0.2530, प0न0 359/446(68) के किला न0 1/1 की 0.0.25हैक्ट 1/2 की 0.228हैक्ट , 2/1 की 0.025हैक्ट 2/2 की 0.228हैक्ट 9 ता 12/1.012हैक्ट 18 ता 20/0.759हैक्ट कुल 27 खसरों की कुल 5.5660हैक्ट भूमि में वादी का 3/22 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी 6 ता 8 प्रत्येक 1/24 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 प्रत्येक का 1/30 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 प्रत्येक का 1/90 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है जो वर्तमान जमाबन्द में दर्ज है।

रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 157/149 के प0न0 351/447(77) के किला न0 13/0.2530 ,24/0.2530 ,प0न0 352/447(76) के किला न0 12/0.2530 ,प0न0 358/440(7) के किला न0 21/0.2530 , 25/0.2530 ,प0न0 358/446(67) के किला न0 18/0.2530 , प0न0 359/440(8) के कलिा न0 22/0.2530 ,प0न0 359/441(13) के किला न0 2/1 की 0.025हैक्ट , 2/2 की 0.228हैक्ट 11/0.2530 कुल 2.270हैक्ट भूमि सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज रिकार्ड है।

रोही मोजा चक 22 डीपीएन की पर्चा खतौनी में प0न0 358/446(67) के किला न0 18 की 1.00 बीधा भूमि दानाराम, मलुराम, जेठाराम, पि0 डालु के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है इसीप्रकार आगामी जमाबन्दी सम्वत 2038 में 2041 में उक्त किला न0 18 की 1.00 बीधा भूमि सुरजाराम वल्द मलुराम के नाम बतौर खातेदार दर्ज है आगमी जमाबन्दी सम्वत 2051 तैयार करते समय उक्त किला न0 18 की 1.00 बीधा भूमि को सम्बधित खातेदार के नाम दर्ज ना कर बिना किसी आदेश के सिवाय चक दर्ज कर दिया जो न्यायोचित नही है किसी भी खातेदार काश्तकार की भूमि को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश/निर्णय के राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज नही किया जा सकता है वर्तमान प्रकरण में वादी के पूर्वजों के नाम दर्ज भूमि पूर्व जमाबन्दीयो मे बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही थी जिसे सिवाय चक [illegible] दिया गया जिसे वादी संशोधन करवाने का अधिकारी है।

रोही मौजा चक 22 डीपीएन के प0न0 358/446(67) के किला न0 18 की 1.00 बीधा भूमि पूर्व में वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 15 के पूर्वजों के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही थी जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों से पूर्णत्या प्रमाणित होता है तथा उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजो के कब्जा काश्त में लगातार चली आ रही थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा वादी व तरतबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 के पूर्वजों के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावरीयों से पूर्णत्या साबित है।

प्रस्तुत जमाबन्दीयों एवं गिरदावरीयों अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 22 डीपीएन के प0न0 358/446(67) के किला न0 18 की 1.00 बीधा भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 के पूर्वजों के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी एवं लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही थी किन्तु जमाबन्दी सम्वत 2051 तैयार करते समय किला न0 18 की भूमि को वादी के खाते से हटा कर सिवाय चक में दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है पटवारी अपने स्तर पर किसी खातेदार की खातेदारी भूमि का सिवाय चक दर्ज करने का अधिकार नही रखता है सम्भवतः खातेदार की जमाबन्दी में अन्तिम किला होने के कारण जमाबन्दी में दर्ज होने से रह गया जिसे जमाबन्दी का जोड मिलाने के लिये सिवाय चक दर्ज कर दिया गया हो जो न्यायोचित नही है इसप्रकार की गलती से खातेदार का भारी परेशानी का सामना करना पडता है जो विधि सम्मत नही है

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा चक 22 डीपीएन के प0न0 358/446(67) के किला न0 18 की 1.00 बीधा भूमि अर्थात किला न0 18/0.2530हैक भूमि जो वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 के पूर्वजों की खातेदारी भूमि थी जो जमाबन्दीयों में दर्ज चली आ रही थी किन्तु आगामी जमाबन्दीया तेयार करते समय किला न0 18 को वादी की खातेदारी से हटा कर सिवाय चक में दर्ज कर दिया जो विधि सम्मत नही है बिना किसी आदेश /निर्णय के किसी भी खातेदार की भूमि को सिवाय चक दर्ज नही किया जा सकता है ना ही पेरोकार राज ने ऐसा कोई साक्ष्य /सबुत/आदेश पेश किया जिससे किला न0 18 की भूमि को सिवाय चक दर्ज किया जाना हो जमाबन्दीया तेयार करते समय सम्भवत :सहवन से सिवाय चक दर्ज हुई है जो संशोधन योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 157/149 के प0न0 358/446(67) के किला न0 18 /0.2530हैक भूमि सिवाय चक काबिल काश्त के स्थान पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 प्रत्येक 1/24 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 प्रत्येक का 1/30 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 प्रत्येक का 1/90 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:59 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रमेश कुमार पुत्र बीरबल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

2. इन्द्राज पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
3. दुलीचन्द पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
4. देवीलाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
5. भादरराम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
6. कमला पत्नी बीबरलराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
7. मोनिका पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर
8. सुनील कुमार पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. कृष्णादेवी पुत्री धनपतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. धर्मपाल पुत्र धनपतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
11. राजेन्द्र कुमार पुत्र धनपतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. सावत्री पत्नी धनपतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
13. कोमल पुत्री धनपतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
14. रामदेई पत्नी मोहनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर।
15. ललित कुमार पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलना तहसील नोहर ज़िला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 921 सन 2024 निर्णय दिनांक– 04/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एव अधिवक्ता प्रतिवादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 157/149 के प0न0 358/446(67) के किला न0 18 /0.2530हैक्ट भूमि सिवाय चक काबिल काश्त के स्थान पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 प्रत्येक 1/24 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 प्रत्येक का 1/30 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 प्रत्येक का 1/90 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन [illegible]

पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)